कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

संख्या ——————— /टास्क फोर्स–2/ई–लॉटरी/2024/दिनांकः मार्च 23, 2025

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आबकारी की फुटकर दुकानों की द्वितीय चरण की ई–लॉटरी हेतु ई–लॉटरी पोर्टल (exciseelotteryup.upsdc.gov.in) पर आवेदन करने की समय–सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया इस कार्यालय से निर्गत पत्र संख्या–30625 (1–75)/टास्कफोर्स–2/ई–लॉटरी/2024 –25 दिनॉक 12.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत आबकारी दुकानों यथा–देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों, भांग की दुकानों तथा मॉडल शॉप की द्वितीय चरण की ई–लॉटरी हेतु ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 23.03.2025 को सायं 05:00 बजे तक निर्धारित की गयी है। ई–लॉटरी हेतु आवेदन की प्रक्रिया के दौरान आज कतिपय अनुज्ञापियों द्वारा अवगत कराया गया है कि ई–लॉटरी पोर्टल पर आवेदन करते समय कतिपय तकनीकी समस्यायें (पोर्टल के धीमा होने, देय धनराशियां जमा न हो पाने इत्यादि) आ रहीं हैं, जिसके कारण वे सफलतापूर्वक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

तदक्रम में उक्त के दृष्टिगत व्यवस्थापन/राजस्वहित में **फुटकर दुकानों की उक्त ई–लॉटरी हेतु ऑनलाइन आवेदन की समय–सीमा दिनांक 24.03.2025 को सायं 05:00 बजे तक बढ़ायी जाती है।** कृपया तदनुसार समस्त सम्बन्धित को अवगत कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(अरविन्द कुमार राय)
अपर आबकारी आयुक्त
(लाई. एवं औ.वि.), उत्तर प्रदेश।

संख्याः 30661 (76-176) टास्क. फोर्स–2(2)/ई–लॉटरी/2024/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– श्री शैलेष कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ निदेशक (आई0टी0) एवं प्रभागाध्यक्ष, एन0आई0सी0 राज्य केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ई–लॉटरी पोर्टल पर भी उपरोक्त आदेश को अपलोड करायें।

2– समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।

4– उप आबकारी आयुक्त, लाइसेंसिंग, मुख्यालय, प्रयागराज।

5– समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने जनपद की वेबसाइट पर भी उपरोक्त आदेश को अपलोड करायें।

6– सेवा प्रदाता (ओएसिस साइबरनेटिक्स प्रा.लि.) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विभागीय वेबसाइट पर भी उपरोक्त आदेश को अपलोड करायें।

23-3-25

(अरविन्द कुमार राय)
अपर आबकारी आयुक्त
(लाई. एवं औ.वि.), उत्तर प्रदेश।